राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।

क्रमांकःप.8(ड)(   )बो.प्र./डीएलबी/16/1316   दिनांकः 8/11/16

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 (i) एवं सहपठित राजस्थान नगर पालिका (कार्य संचालन) नियम, 2009 के नियम 20 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा यह निर्देशित करती है कि भारत सरकार/राज्य सरकार की फ्लेगशीप योजनाओ की समीक्षा/प्रगति तथा भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में राजस्थान की सभी नगर निगम/परिषद/पालिकाओ में विशेष बैठक आवश्यक रूप से दिनांक 18.11.2016 को प्रातः 11 बजे आयोजित की जावे। उक्त विशेष बैठक हेतु फ्लेगशिप योजना एवं नगर निकाय से संबंधित विषय/एजेण्डा निम्नानुसार रखा जावे :–

1. स्वच्छ भारत मिशन
2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.)
3. मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन योजना
4. एल.ई.डी. लाईट्स
5. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत अब तक की गई कार्यवाही एवं भविष्य की कार्य योजना।
6. दोहरी लेखा प्रणाली (डबल ऐन्ट्री सिस्टम)
7. बेलेंसशीट व ऑडिट आक्षेप की अनुपालना
8. आवारा पशु/कुत्तो पर नियंत्रण
9. नगर पालिका के राजस्व संसाधन जुटाने (Resource Mobilization)

चूंकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐजेण्डे पर ही बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित की जानी है, इसलिये चेयरपर्सन से ऐजेण्डा अनुमोदन कराना अपेक्षित नहीं है। आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियो को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विषय/ऐजेण्डा बिन्दुओ पर विस्तृत नोट तैयार कर ऐजेण्डा दिनांक 18.11.2016 को प्रातः 11.00 बजे मण्डल की विशेष बैठक आयोजित करने हेतु ऐजेण्डा जारी करेगे। महापौर/सभापति/अध्यक्ष के अनुपस्थिति की स्थिति में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 48 की उपधारा (2)(a) के

प्रावधान अनुसार बैठक आयोजित की जावे। मुख्य नगर पालिक अधिकारी द्वारा समस्त सदस्यो को चर्चा हेतु विषय/ऐजेण्डा बिन्दुओ पर विस्तृत नोट बैठक से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाया जावे एवं मिटिंग के दौरान समस्त विषयो पर सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जावे। उक्त मिटिंग कार्यवाही का विवरण की प्रति निदेशालय को दिनांक 24.11.2016 तक आवश्यक रूप से संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा भिजवाई जावेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावे।

8/11

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ड)( )बो.प्र./डीएलबी/16/1317-1556 दिनांक: 08/11/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग ।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर।
03. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर को प्रेषित कर अनुरोध है कि दिनांक 18.11.2016 को प्रातः 11:00 बजे सभी नगर निकायो की बैठक आयोजित कराना सुनिश्चित करावे।
04. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 18.11.2016 को प्रातः 11:00 बजे सभी नगर निकायो की बैठक आयोजित कराना सुनिश्चित करावे।
05. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष,नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
06. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
07. गार्ड फाईल।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\QAYAM\15 ORDER.DOC